राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1399/2025

निहाल सिंह मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग,
राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण पुलिस दूरसंचार लाईन, घाटगेट, जयपुर से पुलिस दूरसंचार, भीलवाडा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना में पुलिस दूरसंचार लाईन, भीलवाडा में कार्य ग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का केवल मात्र यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है, जिसका स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जिससे उसे कठिनाईयों का सामना करना पडेगा।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश की पालना में नये स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है। इस कारण से आलोच्य आदेश की पालना की जा

चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका निस्तारण सहानुभूतिपूर्वक किया जाएं।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष